XII 2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार 30 जून 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार 13.42 प्रतिशत बढ़ा । जहां वर्ष 2018-19 में आय में 146.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं व्यय में 39.72 प्रतिशत की कमी आई । यह वर्ष, गत वर्ष के ₹500 बिलियन की अपेक्षा ₹1,759.87 बिलियन के कुल अधिशेष के साथ समाप्त हुआ, जो 251.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं ।

XII.2 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के तुलन-पत्र के आकार में वृद्धि हुई। तुलन-पत्र में ₹4,853.11 बिलियन अर्थात 13.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹36,175.94 बिलियन था जो 30 जून 2019 को बढ़कर ₹41,029.05 बिलियन हो गया । आस्ति पक्ष में वृद्धि के मुख्य कारण घरेलू और विदेशी निवेश में क्रमश: 57.19 प्रतिशत और 5.70 प्रतिशत की वृद्धि तथा स्वर्ण में 16.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना था। देयता पक्ष में हुई वृद्धि निर्गत नोटों, अन्य देयताओं और प्रावधानों तथा जमाराशियों में क्रमश: 13.43 प्रतिशत, 11.10 प्रतिशत और 17.21 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 28.03 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 71.97 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2018 को ये क्रमशः 23.18 प्रतिशत और 76.82 प्रतिशत थीं।

XII.3 बैंक ने 2014-15 एवं 2015-16 के बीच आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) को एक उद्देश्यपरक, नियम-आधारित, पारदर्शी कार्यप्रणाली के रूप में विकसित किया है ताकि भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जोखिम के लिए किए जा रहे प्रावधान के समुचित स्तर का निर्धारण किया जा सके । 19 नवंबर 2018 को आयोजित रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के पश्चात, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से, डॉ. बिमल जालान, पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में रिज़र्व बैंक के वर्तमान ईसीएफ की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने रिज़र्व बैंक के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2019 को आयोजित बैठक में उक्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद समिति की सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया तथा जोखिम संबंधी प्रावधान एवं अधिशेष अंतरण के निर्धारण हेतु संशोधित फ्रेमवर्क को अपनाते हुए वर्ष 2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक के लेखा को अंतिम रूप दिया। चूंकि रिज़र्व बैंक की वित्तीय आघातसहनीयता वांछित अंतराल में बनी हुई थी, अत: ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त जोखिम प्रावधान का आकस्मिकता निधि (सीएफ) से प्रतिलेखन करते हुए इसे आय में शामिल कर लिया गया।

XII.4 इसके अलावा, आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए भी ₹0.64 बिलियन प्रावधान किया गया जो रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) एवं भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) में नये सिरे से किए गए निवेश के कारण था।

XII.5 उपर्युक्त समायोजनों के पूर्व अधिशेष की राशि ₹1,234.14 बिलियन थी। उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप भारत सरकार को अंतरण योग्य अधिशेष की राशि ₹1,759.87 बिलियन हो गयी (जिसमें भारत सरकार को इस वर्ष के दौरान पहले ही अंतरित की जा चुकी ₹280 बिलियन की राशि शामिल है) ।

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
ए) आय	792.56	808.70	618.18	782.81	1,930.36
बी) कुल व्यय[1]	133.56[2]	149.90[3]	311.55[4]	282.77[5]	170.45[6]
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	659.00	658.80	306.63	500.04	1,759.91
डी) निधियों में अंतरण[7]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	658.96	658.76	306.59	500.00	1,759.87

टिप्पणी:1. 30 जून, 2015 से सीएफ और एडीएफ में अंतरण को आय विवरण में प्रावधान शीर्ष के जरिए किया जा रहा है ।

2. इसमें एनएचबी के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है ।
3. इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है ।
4. इसमें नवगठित भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है ।
5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है ।
6. इसमें एडीएफ में ₹0.64 बिलियन के प्रावधान का अंतरण शामिल है ।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई ।

XII.6 आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और भारत सरकार को अंतरित किए गये अधिशेष के रुझान सारणी XII.1 में दिये गये हैं ।

XII.7 वर्ष 2018-19 के लिए तैयार तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैः

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	2017-18	2018-19	आस्तियां	अनुसूची	2017-18	2018-19
पूंजी		0.05	0.05	**बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.09	0.09
अन्य आरक्षित निधि	1	2.28	2.30	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	696.74	882.98
जमाराशियाँ	2	6,525.97	7,649.22	निवेश-विदेशी - बीडी	7	7,983.89	6,964.53
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	10,463.04	11,624.51	निवेश-घरेलू - बीडी	8	6,297.45	9,898.77
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	1,638.55	931.87
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	33.70	19.64
				अन्य आस्तियां	11	405.92	643.20
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां**			
जारी किए गए नोट	4	19,119.60	21,687.97	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	743.49	792.04
				रुपये सिक्के		9.26	8.28
				निवेश-विदेशी-आईडी	7	18,366.85	20,887.65
				निवेश-घरेलू-आईडी	8	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताएं	**36,175.94**	**41,029.05**		**कुल आस्तियां**	**36,175.94**	**41,029.05**

निर्मल चंद	एम. के. जैन	बी. पी. कानूनगो	एन. एस. विश्वनाथन	शक्तिकांत दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2019 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2017-18	2018-19
ब्याज	12	738.71	1,068.37
अन्य आय	13	44.10	861.99
	कुल	**782.81**	**1,930.36**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		49.12	48.11
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		1.15	0.88
एजेंसी प्रभार	14	39.03	39.10
कर्मचारी लागत		38.48	68.51
ब्याज		0.01	0.01
डाक और दूर संचार प्रभार		0.87	1.03
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.23	0.22
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.27	1.26
मरम्मत और रखरखाव		1.03	0.98
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.06	0.05
विधिक प्रभार		0.09	0.17
विविध व्यय		8.08	7.97
मूल्यह्रास		1.43	1.50
प्रावधान		141.90	0.64
	कुल	**282.77**	**170.45**
उपलब्ध शेष राशि		**500.04**	**1,759.91**
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य:			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[1]		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		100.00	280.00
	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	**400.00**	**1,479.87**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं ।

निर्मल चंद	एम. के. जैन	बी. पी. कानूनगो	एन. एस. विश्वनाथन	शक्तिकांत दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2017-18	2018-19
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.27	0.28
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.01	2.02
	कुल	**2.28**	**2.30**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.01
	(ii) राज्य सरकारें	0.42	0.42
	उप-योग	***1.43***	***1.43***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,744.18	5,129.26
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	35.20	39.98
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	84.01	90.29
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	19.15	24.91
	(v) अन्य बैंक	188.41	209.64
	उप-योग	***5,070.95***	***5,494.08***
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	***0.00***	***0.00***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	46.81	46.38
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	195.67	257.47
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	18.80	19.05
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2.40	2.13
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.20	3.38
	(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01
	(vii) अन्य	1,186.70	1,825.29
	उप-योग	***1,453.59***	***2,153.71***
	कुल	**6,525.97**	**7,649.22**
अनुसूची 3:	**अन्य देयताएं और प्रावधान**		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,321.08	1,963.44
	(ii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	228.11	228.75
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	6,916.41	6,644.80
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)	0.00	157.35
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	132.85	494.76
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	32.62	13.04
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	0.00
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	27.88	22.81
	(ix) ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि	175.13	206.10
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	500.00	1,759.87
	(xi) देय बिल	0.05	0.08
	(xii) विविध	128.91	133.51
	कुल	**10,463.04**	**11,624.51**

		2017-18	2018-19
अनुसूची 4:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.09	0.09
	(ii) संचलन में नोट	19,119.51	21,687.88
	कुल	**19,119.60**	**21,687.97**
अनुसूची 5:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)**		
	(i) नोट	0.09	0.09
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	**0.09**	**0.09**
अनुसूची 6:	**स्वर्ण सिक्के और बुलियन**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण सिक्के और बुलियन	696.74	882.98
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	0.00
	उप-योग	***696.74***	***882.98***
	(बी) निर्गम विभाग (जारी नोट के समर्थन के रूप में)	743.49	792.04
	कुल	**1,440.23**	**1,675.02**
अनुसूची 7:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बीडी	7,983.89	6,964.53
	(ii) निवेश-विदेशी - आईडी	18,366.85	20,887.65
	कुल	**26,350.74**	**27,852.18**
अनुसूची 8:	**निवेश-घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बीडी	6,297.45	9,898.77
	(ii) निवेश-घरेलू - आईडी	0.00	0.00
	कुल	**6,297.45**	**9,898.77**
अनुसूची 9:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) केंद्र सरकार	554.35	265.31
	(ii) राज्य सरकारें	14.93	26.66
	उप-योग	***569.28***	***291.97***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,006.90	572.00
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	62.37	67.90
	उप-योग	***1,069.27***	***639.90***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम :		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	***0.00***	***0.00***
	कुल	**1,638.55**	**931.87**
अनुसूची 10:	**अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	0.00
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.00
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00
	(v) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50
	(vi) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.00	0.30
	(vii) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	0.00	0.34
	कुल	**33.70**	**19.64**

		2017-18	2018-19
अनुसूची 11:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	4.41	6.51
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	232.99	330.81
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*3.16*	*3.27*
	बी. अन्य मदों पर	*229.83*	*327.54*
	(iii) स्वैप परिशोधन खाता	23.10	0.00
	(iv) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	32.62	13.04
	(v) विविध	112.80	292.84
	कुल	**405.92**	**643.20**
अनुसूची 12:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	479.68	583.43
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-95.41	10.46
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.25	1.35
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	7.79	14.98
	उप-योग	***393.31***	***610.22***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	234.28	278.11
	(ii) रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	0.00	-0.04
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	111.12	180.08
	उप-योग	***345.40***	***458.15***
	कुल	**738.71**	**1,068.37**
अनुसूची 13:	**अन्य आय**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	0.00	0.00
	(iii) कमीशन	20.35	22.72
	(iv) प्राप्त किराया	0.05	0.07
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	60.36	0.40
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	-0.08	-0.27
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	31.13	21.45
	(viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से लाभ/हानि	0.01	0.01
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	3.67	526.18
	उप-योग	***115.49***	***570.56***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	-36.08	-15.31
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	5.36	16.76
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय लाभ / हानि	-40.67	289.98
	उप-योग	***-71.39***	***291.43***
	कुल	**44.10**	**861.99**
अनुसूची 14:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	37.60	38.17
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	1.13	0.74
	(iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया हैंडलिंग प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	0.08	0.02
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.22	0.17
	कुल	**39.03**	**39.10**

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप हमने यह लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखा-परीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम संस्था-निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तात्विक रूप से असंगत है अथवा लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाएँ अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती हैं । हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर यह पाया जाता है कि इस अन्य जानकारी में दी गई जानकारी तात्विक रूप से गलत है, तो उन तथ्यों को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक ऐसी कोई सूचना हमें इस लेखापरीक्षा में नहीं मिली है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों की गवर्नेन्स करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों की गवर्नेन्स करने वाले व्यक्तियों का है और जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सही और सटीक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व के तहत डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है जिससे ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करना और उनकी प्रस्तुति संभव हो सके जो सत्य और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों तथा किसी भी प्रकार की तात्विक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह किसी धोखाधड़ी के इरादे से की गयी हो या त्रुटिवश।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, संस्था के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथालागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था आधार पर करने के लिए संस्था का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी होगा जब तक कि प्रबंधतंत्र का इरादा संस्था का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी उनकी है, जिन्हें इसके गवर्नेन्स का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वस्त करना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखा-परीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, आंतरिक चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा-परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा-परीक्षा क्रियापद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंध-तंत्र द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो संस्था की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। लेकिन भावी घटनाएँ अथवा स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कार्यशील संस्था अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

हम गवर्नेन्स का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण विसंगतियाँ भी शामिल होती हैं, जिनकी शिनाख्त हम लेखा-परीक्षा के दौरान करते हैं।

अन्य मामले

हम सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिसकी लेखा-परीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते छाजेड़ और दोशी सनदी लेखाकर (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.101794 डब्ल्यू)	कृते जी.पी. कपाड़िया ऐन्ड कं. सनदी लेखाकर (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.104768 डब्ल्यू)
अरुणा धनेशा भागीदार सदस्यता सं.107863	निमेश भिमानी भागीदार सदस्यता सं.30547

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 अगस्त, 2019

30 जून 2019 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोटों को जारी करना।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।

सी) बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वहन।

ई) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास करना।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकासात्मक कार्य करना।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए और निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं यथा समय संचलनगत भारत सरकार के करेंसी नोटों और बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी ।

(बी) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये गये हैं। पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु किए गए संशोधनों को छोड़कर, ये विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी लेखांकन-नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद उपचित आधार पर शेयरों पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा- विविध, विप्रेषण समाशोधन लेखा, बयाना जमाराशि लेखा तथा प्रतिभूति जमा लेखा सहित कतिपय अस्थायी लेखों में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए गैर-दावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में शामिल किया

जाता है। यदि कोई दावा होता है, तो उस पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में इसे आय में से घटा दिया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को लागू विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेन को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ए) स्वर्ण

विदेशों में रखे गए स्वर्ण सहित स्वर्ण का पुनर्मूल्यन निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा कोट किए गए औसत स्वर्ण मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन लागू विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह/वर्ष के आखिरी कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से उत्पन्न होने वाले लाभों/हानियों को सीजीआरए में डाला जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण खज़ाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड जिनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है, में निवेश) को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य (एमटीएम) पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए-एफएस के जमा शेष को बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-एफएस के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती लेखा वर्ष के पहले कारोबारी दिवस को आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दिया जाता है।

विदेशी ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पेपर्स को डिस्काउंट/प्रीमियम का परिशोधन करके यथा समायोजित लागत पर रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का परिशोधन प्रतिदिन किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/ हुई हानि को बही मूल्य के संदर्भ में मान्य किया जाता है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर, आईआरए-एफएस में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यन से हुए लाभ/हानि को आय-खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा / स्वैप संविदाएं

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसे वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (आरएफसीए) में प्रति-प्रविष्टि के रूप में नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है इसका प्रति-प्रविष्टि क्रेडिट 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) में जमा किया जाता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया

जाना अपेक्षित होता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाएगी। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

30 जून को एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि के लिए प्रभारित किया गया है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को इसकी प्रतिप्रविष्टि की जाएगी। आरएफ़सीए और पीएफ़सीवीए की शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन संबंधी क्रमशः लाभ या हानि को दर्शाएगी।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, किंतु आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा होते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेन-देन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेन-देन का कार्य बैंक द्वारा इसके हस्तक्षेपी कार्य के रूप में किया जाता है जो दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर तय किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों, नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्य माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता -रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए- आरएस में जमा शेष को आगामी लेखा वर्ष के लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिकता निधि पर डाला जाता है और आगामी लेखा वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को यह राशि वापस कर दी जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूति/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियां जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों (यथा अभिदान एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि) और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेन-देन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिपो/रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रिपो लेन-देन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेन-देनों को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया गया है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) कला तथा पेंटिंग्स जो कि लागत पर रखी जाती है, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहित तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास पूंजीकरण महीने से आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर निर्धारित दरों के साथ वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।

(सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाली) पर मूल्यह्रास निम्न तरीके से आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती द्वारा किया जाता है।

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यह्रास की दर)
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें *इत्यादि*	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड *इत्यादि*	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

(डी) ₹0.10 मिलियन तक की लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से कहीं ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(एफ़) मूल्यह्रास का प्रावधान, छमाही की समाप्ति पर मौजूद अचल आस्तियों की शेष राशि पर प्रति माह आनुपातिक आधार पर किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यह्रास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।

(जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यह्रास:

i वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से लेखा बही में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यह्रास की गणना मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-अवधि के आधार पर की जाती है;

ii वर्तमान अचल आस्तियों के आधुनिकीकरण/जोड़े किए जाने/मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय, जिनका मूल्यह्रास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से उस वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(एच) भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन सुविधा निम्नानुसार है:

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे के आधार पर ली गई हैं। ऐसे पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

i सभी भवनों का जीवन-चक्र तीस वर्ष का माना जाता है और इनके मूल्यह्रास का प्रभार तीस वर्षों के दौरान

'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रभार भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है।

ii भवनों की क्षति: क्षति के आंकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए. *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनको भविष्य में छोड़ दिया जाएगा :* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास होगी। बही में दर्ज मूल्य और उक्त प्रकार से परिकलित मूल्यह्रास के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. *जिन भवनों को हटाया/छोड़ दिया गया है:* ऐसे भवनों को बेच कर मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) प्राप्त करने योग्य अथवा ढहाए जाने की कीमत को घटा कर स्क्रैप मूल्य (यदि भवन को ढहाया जाना हो) दर्शाया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने योग्य मूल्य के बीच अंतर (निवल बिक्री मूल्य)/ ढहाए जाने की लागत को स्क्रैप मूल्य से घटाकर शेष राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित की जाती है।

2.8 कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित देयता 'अनुमानित इकाई ऋण' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.8 बैंक की देयताएं

XII.8.1 बैंकिंग विभाग की देयताएं

i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के अनुसार

₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹0.28 बिलियन थी।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹500 मिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.02 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष 10 मिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और नाबार्ड *इत्यादि*, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 17.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2018 के ₹6,525.97 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹7,649.22 बिलियन हो गयी।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2019 और 30 जून 2018 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमश: ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन थीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 8.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2018 के ₹5,070.95 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹5,494.08 बिलियन हो गयी।

सी. जमाराशियां-अन्य

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों,

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,453.59 बिलियन थी, इसमें 48.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 को ₹2,153.71 बिलियन हो गयी जिसका प्रमुख कारण आरबीआई के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई वृद्धि थी।

v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' के प्रमुख घटक प्रावधान और पुनर्मूल्यन शीर्ष हैं। आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) क्रमश: अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के प्रावधान और सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए अलग से रखी गई राशि और आंतरिक पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। बाजार मूल्य पर अप्राप्त लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष जैसे मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए), विदेशी और रुपया प्रतिभूतियाँ और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) में रखा गया है। 'अन्य देयताएं और प्रावधान' की राशि 30 जून 2018 के अनुसार ₹10,463.04 बिलियन थी, इसमें 11.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 को ₹11,624.51 बिलियन हो गयी जिसका प्रधान कारण निवेश पुनर्मूल्यन खाते – विदेशी और रुपया प्रतिभूतियाँ और भारत सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष- में हुई वृद्धि थी।

ए. आकस्मिक निधि (सीएफ)

आकस्मिक निधि एक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक द्वारा किए गए प्रावधान को दर्शाती है। इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त जोखिम प्रावधान का सीएफ से प्रतिलेखन किया गया।

उपर्युक्त के आधार पर 30 जून 2019 को सीएफ शेष ₹1,963.44 बिलियन बचा जो कि 30 जून 2018 को ₹2,321.08 बिलियन था।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई) और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस) में नए निवेश के लिए ₹0.64 बिलियन का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त के आधार पर एडीएफ में शेष 30 जून 2019 को 228.75 बिलियन हो गया जबकि 30 जून 2018 को यह ₹228.11 बिलियन था (सारणी XII.2) ।

सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं- मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ के लिए एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं *की तुलना* में महँगा होता

सारणी XII.2 : आकस्मिक निधि (सीएफ) एवं आस्ति विकास निधि (एडीएम) में शेष राशियां

(₹बिलियन)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेषराशि	एडीएफ में शेषराशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2015	2,216.14*	217.61	2,433.75	8.4
2016	2,201.83*	227.61	2,429.44	7.5
2017	2,282.07#	228.11	2,510.18	7.6
2018	2,321.08@	228.11	2,549.19	7.05
2019	1,963.44$	228.75	2,192.19	5.34

* 30 जून 2015 और 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा पर हुई एमटीएम हानि को वायदा संविदा मूल्यन खाते के नामे शेष प्रभारित करने के कारण आकस्मिक निधि में गिरावट हुई।

30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹65.85 बिलियन की राशि का आईआरएस और एफ़सीवीए के नामे शेष प्रभारित करने तथा ₹131.40 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि की राशि में वृद्धि हुई।

@ 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹168.74 बिलियन की राशि का आईआरए-एफ़एस के नामे शेष प्रभारित करने और ₹141.90 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि में वृद्धि हुई।

$30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार सीएफ में आयी गिरावट ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2018-19 के दौरान, सीजीआरए शेष में 3.93 प्रतिशत की कमी आयी और यह 30 जून 2018 के ₹6,916.41 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹6644.80 बिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण यूएस डालर की तुलना में प्रमुख मुद्राओं का अवमूल्यन था जिसकी आंशिक क्षतिपूर्ति स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से हुई।

डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2019 की स्थित के अनुसार आईआरए-एफएस का खाता शेष ₹157.35 बिलियन था।

ई. निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष राशि 30 जून 2018 के ₹132.85 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹494.76 बिलियन हो गयी क्योंकि इस वर्ष के दौरान रुपया प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई थी और बैंक द्वारा धारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में गिरावट आयी थी ।

एफ. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन (एमटीएम) करने पर निवल ₹13.04 बिलियन का अप्राप्त लाभ हुआ जिसे एफसीवीए में क्रेडिट करते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) को डेबिट करके की गयी। वर्तमान नीति के अनुसार, संविदा अवधि पूर्ण होने पर इन खातों में प्रविष्ट राशियों की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, एफसीवीए में शेष ₹13.04 बिलियन था।

पिछले पाँच वर्षों में सीजीआरए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूतियां, एफसीवीए और पीएफसीवीए में शेष राशि की स्थिति नीचे सारणी XII.3 में दी गई है।

सारणी XII.3: सीजीआरए, एफ़सीवीए, पीएफ़सीवीए, आईआरए-एफ़एस और आईआरए-आरएस में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस
1	2	3	4	5	6
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14	0.00
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66	391.46
2017	5,299.45	0.00	29.63	0.00	570.90
2018	6,916.41	32.62	0.00	0.00	132.85
2019	6,644.80	13.04	0.00	157.35	494.76

जी. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। देय राशियों के लिए किया गया प्रावधान 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹27.88 बिलियन था, जो 18.19 प्रतिशत घटकर 30 जून 2019 में ₹22.81 बिलियन रह गया।

एच. भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अधिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद वर्ष सीएफ और एडीएफ़ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों के प्रति ₹0.04 बिलियन अंशदान के बाद 2018-19 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹1,759.87 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹8.49 बिलियन की तुलना में ₹7.16 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)। वर्ष के दौरान ₹1,759.87 बिलियन में से ₹280 बिलियन की राशि केंद्र सरकार को अंतरित की गयी ।

आई. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के तहत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹0.05 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2019 को ₹0.08 बिलियन हो गयी।

जे. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं । इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹128.91 बिलियन थी जो बढ़कर 30 जून 2019 को ₹133.51बिलियन हो गयी।

XII.8.2 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

i. निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की

देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। जारी किए गए नोटों संख्या 13.43 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 के ₹19,119.60 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹21,687.97 बिलियन हो गयी। यह वृद्धि जनसाधारण की लेन-देन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी।

साथ ही, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹107.20 बिलियन की राशि, जिसका 30 जून 2018 तक भुगतान नहीं किया गया था, उसे 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान' में अंतरित कर दिया गया । 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹0.13 बिलियन राशि के विनिमय मूल्य की अदायगी पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को की।

XII.9 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.9.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस मद के तहत रिज़र्व बैंक बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.09 बिलियन थी जो 30 जून 2018 की शेष राशि के बराबर थी।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2018 के 566.23 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2019 को 618.16 मीट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 51.93 मीट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण है।

30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार उक्त 618.16 मीट्रिक टन में से 292.30 मीट्रिक स्वर्ण जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 30 जून 2018 के शेष 273.93 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2019 को धारित 325.86 मीट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XI.6)। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2018 के ₹696.74 बिलियन से 26.73 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹882.98 बिलियन हो गया, इसका प्राथमिक कारण वर्ष के दौरान 51.93 मीट्रिक टन सोने के जुडने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत का बढ़ना रहा है ।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2018-19 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बही में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) निवेश – विदेशी बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-विदेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रुप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश-विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

'निवेश-विदेशी-आईडी' भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र एफ़सीए है जो जारी नोटों को सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के शेष से 'निवेश-विदेशी-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.4 में दी गई है।

सारणी XII.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

	विवरण	30 जून की स्थिति	
		2018	2019
1		2	3
I	निवेश-विदेश-आईडी	18,366.85	20,887.65
II	निवेश- विदेश-बीडी*	7,983.89	6,964.53
	कुल	**26,350.74**	**27,852.18**

*: इसमें बीआईएस और स्विफ्ट के शेयर और 30 जून 2018 के ₹104.79 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹103.21पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित एसडीआर शामिल है।

टिप्पणी :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत दी है। वर्तमान में एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता 4.44 बिलियन एसडीआर(₹425.48 बिलियन/यूएस$ 6.17 बिलियन) बैठती है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.29 बिलियन (₹27.85 बिलियन/यूएस$ .0.40 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में राशि, जो कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹344.59 बिलियन) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में यूएस$ 1.86 बिलियन (₹128.39 बिलियन) का निवेश किया है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार, 2016 के अनुसार, रिज़र्व बैंक यूएस$ 10 बिलियन (₹689.18 बिलियन) के समतुल्य राशि हेतु एसडीआर में अंकित आईएमएफ नोट्स की खरीद करेगा।
4. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.05 बिलियन (₹100.36 बिलियन यूए$ 1.46 बिलियन) की धारिता थी।
5. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस $2 बिलियन की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भूटान के साथ यूएस $ 0.1 बिलियन; (₹6.89 बिलियन) बकाया स्वैप है।

v) निवेश- घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉन्ड शामिल हैं। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई घरेलू ट्रेजरी बिल धारित नहीं थे। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियां जो कि 30 जून 2018 को ₹6,297.45 बिलियन थी वे 57.19 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹9,898.77 बिलियन हो गई। यह वृद्धि 3,311.12 बिलियन (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

'निवेश-घरेलू-बीडी' के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2019 के अनुसार ₹565.50 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ लिए गए स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखा गया है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का ऋण और अग्रिम 30 जून 2018 के ₹554.35 बिलियन से घटकर 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹265.31 बिलियन हो गया। जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2018 के ₹14.93 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹26.66 बिलियन हो गए।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :*

  इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2018 की ₹1,006.90 बिलियन से घटकर 30 जून

2019 को ₹572 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों के लिए रेपो के एवज में बकाया राशि में कमी रही।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम :* रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2018 और 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

- *अन्य को ऋण और अग्रिम :*

  इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2018 की ₹62.37 बिलियन से 8.87 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹67.90 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण पीडी के लिए रिपो के एवज में बकाया राशि का बढ़ना था ।

vii) सहयोगी संस्थाओं/ एसोशिएट में निवेश

30 जून 2018 और 30 जून 2019 के अनुसार सहयोगी / सहायक संस्थाओं में किए गए निवेश की तुलनात्मक जानकारी सारणी XII.5 में दी गई है। दिनांक 30 जून 2018 के ₹33.70 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को कुल धारिता 19.64 बिलियन थी। इस निवल कमी का कारण निम्नलिखित हैं:

ए) *वर्ष के दौरान किए गए नए निवेश :* वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई) में ₹0.30 बिलियन और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएँ (आईएफ़टीएएस) में ₹0.34 बिलियन का निवेश क्रमशः 30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत शेयरधारिता के लिए किया है।

बी) *वर्ष के दौरान विनिवेश :* इसके अलावा, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में किए गए संशोधन और नाबार्ड संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार रिज़र्व बैंक की एनएचबी (100 प्रतिशत) और नाबार्ड (0.40 प्रतिशत) में कुल शेयरधारिता जो क्रमशः ₹14.50 बिलियन और ₹0.20 बिलियन के समतुल्य थी, उसे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सारणी XI.5: सहयोगी संस्थाओं / एसोशिएट में धारिता

(₹ बिलियन)

अनुषंगी/सहायक संस्थाएं	2017-18	2018-19	30 जून 2019 तक प्रतिशत धारिता
1	2	3	4
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50	100
बी) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	0.00	-
सी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.00	-
डी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00	100
ई) भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50	100
एफ़) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.00	0.30	30
जी) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	0.00	0.34	100
कुल	**33.70**	**19.64**	

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास का निवल), उपचित आय, धारित शेष (i) स्वैप परिशोधन

खाता (एसएए), (ii) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफ़सीए) तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि, केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित अन्तरिम राशि आदि होती हैं। अन्य आस्तियों के तहत बके राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹405.92 बिलियन थी जो 58.45 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹643.20 बिलियन हो गयी, जिसका प्रमुख कारण वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को किया गया अंतरिम अंतरण है ।

ए. *स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)*

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रेपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स किया जाना है। 30 जून 2019 तक कोई भी बकाया संविदाएँ नहीं है। एसएए में 30 जून 2018 की ₹23.10 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को कोई भी राशि बकाया नहीं है।

बी) *वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)*

मौजूदा नीति के अनुसार वायदा संविदाओं को बाजार भाव पर अर्धवार्षिक आधार पर दर्शाया जाता है और इससे हुए निवल लाभ को एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। आरएफ़सीए में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार शेष ₹32.62 बिलियन था और 30 जुलाई 2019 की स्थिति के अनुसार यह 13.04 बिलियन हो गया। यह शेष बकाया वायदा संविदाओं पर हुए लाभ को बाजार भाव पर दर्शाता है।

XII.9.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश - विदेशी आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 618.16 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2019 के स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XII.6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2018 को ₹743.49 बिलियन था, जो 6.53 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹792.04 बिलियन हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित 'निवेश-विदेशी-आईडी' 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹18,366.85 बिलियन थी, जो 13.72 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹20,887.65 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित 'रुपया सिक्कों' की शेष राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹9.26 बिलियन थी, जो 10.58 प्रतिशत घटकर 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹8.28 बिलियन हो गई।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.10 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, एसडीआर एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार, (भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और निवेश-विदेशी-बीडी में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के

सारणी XII.6: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून, 2018 के अनुसार मात्रा मैट्रिक टन में	30 जून, 2019 के अनुसार मात्रा मैट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को सहारा देने हेतु (धारित स्वर्ण (भारत में धारित	292.30	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में (धारित स्वर्ण (विदेश में धारित	273.93	325.86
कुल	**566.23**	**618.16**

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन ₹)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2018	2019	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां ((एफ़सीए	26,098.07^	27,616.45#	1,518.38	5.82
स्वर्ण	1,440.23@	1,675.02*	234.79	16.30
विशेष आहरण (अधिकार (एसडीआर	101.92	100.36	(-) 1.56	(-) 1.53
आईएमएफ़ में रिज़र्व की स्थिति	170.40	231.69	61.29	35.97
विदेशी मुद्रा भंडार ((एफ़ईआर	27,810.62	29,623.52	1,812.90	6.52

^: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹101.92 बिलियन के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹144.01 बिलियन का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को ₹6.74 बिलियन का उधार।

#: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹100.36 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹128.39 बिलियन का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹6.98 बिलियन उधार।

@: इसमें से ₹743.49 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹696.4 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹792.04 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹882.98 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7 (बी): विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2018	2019	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां ((एफ़सीए	380.77*	400.71**	19.94	5.24
स्वर्ण	21.00	24.30	3.30	15.71
विशेष आहरण अधिकार ((एसडीआर	1.49	1.46	(-) 0.03	(-) 2.01
आईएमएफ़ में रिज़र्व की स्थिति	2.48	3.36	0.88	35.48
विदेशी मुद्रा भंडार ((एफ़ईआर	405.74	429.83	24.09	5.94

*: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश। और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

**: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.46 बिलियन अमरेकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य 0.1 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2018 एवं 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) है ।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.11 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटकों में 'ब्याज से होने वाली प्राप्तियां', जो आय का प्रमुख भाग है तथा 'अन्य आय' हैं, जिनमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय- घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से, (iii) कमीशन, (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं विमोचन से हुआ लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियों हस्तांतरण पर मूल्यह्रास (vii) प्राप्त किराया, (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि, एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। वर्ष के दौरान विनिमय लाभ/हानि की गणना भारित औसत लागत पद्यति का प्रयोग करते हुए किया गया जिसका प्रभाव ₹214.64 बिलियन के रुप में देखा गया है । आय की कतिपय मदें, जैसे, एलएएफ रेपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रेपो और विनिमय लाभ निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.12 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2017-18 में ₹274.01 बिलियन थी, जो 173.56 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹749.58 बिलियन हो गई, जो मुख्यता सभी मुद्राओं में प्रतिलाभ / ब्याज दरों में सामान्य बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुए । इसलिए, विदेशी

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(बिलियन ₹)

मद	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2017-18	2018-19	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	26,350.74	27,852.18	1,501.44	5.70
औसत एफ़सीए	25,170.70	26,896.92	1,726.22	6.86
एफ़सीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ / हानि)	274.01	749.58	475.57	173.56
औसत एफ़सीए के प्रतिशत के रूप में एफ़सीए से अर्जन	1.09	2.79	1.70	155.96

मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2017-18 की 1.09 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 2.79 प्रतिशत उच्चतर थी ।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.13 घरेलू स्रोतों से होने वाली आय 2017-18 में ₹508.80 बिलियन थी, जो 132.07 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹1,180.78 बिलियन हो गई, जो मुख्य रूप से (क) रुपया प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी के कारण कूपन आय में बढ़ोतरी (ख) बैंकिंग प्रणाली में निवल चलनिधि डालने में बढ़ोतरी के कारण एलएएफ़ / एमएसएफ़ परिचालोनों के तहत ब्याज से निवल आय में बढ़ोतरी और (ग) आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त जोखिम प्रावधानों को राइट बैक की वजह से हुआ (सारणी XII.9) ।

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद	2017-18	2018-19	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III)	**508.80**	**1,180.78**	**671.98**	**132.07**
I. रुपया प्रतिभूतियों से अर्जन				
i) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड की धारिता पर ब्याज	479.68	583.43	103.75	21.63
ii) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	60.36	0.40	-59.96	-99.34
iii) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	-0.08	-0.27	-0.19	237.50
iv) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	31.13	21.45	-9.68	-31.10
v) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-95.41	10.46	105.87	110.96
vi) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	1.25	1.35	0.10	8.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v+vi)	***476.93***	***616.82***	***139.89***	***29.33***
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	5.86	12.85	6.99	119.28
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1.35	1.47	0.12	8.89
iii) कर्मचारी	0.58	0.66	0.08	13.79
उप जोड़ (i+ii+iii)	***7.79***	***14.98***	***7.19***	***92.30***
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	20.35	22.72	2.37	11.65
iv) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	3.73	526.26	522.53	14,008.85
उप जोड़ (i+ii+iii+iv)	***24.08***	***548.98***	***524.90***	***2179.82***

XII.14 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को धारण करने से होने वाला ब्याज 2017-18 में ₹479.68 बिलियन था, जो 21.63 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹583.43 बिलियन हो गया। जो कि 2018-19 में रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में ₹3,311.12 बिलियन की निवल खरीद से हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ।

XII.15 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) / सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय 2017-18 में (-)₹94.16 बिलियन थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹11.81 बिलियन हो गई, जिसका कारण बैंकिंग प्रणाली में निवल चलनिधि में बढ़ोतरी करना था।

XII.16 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और शोधन पर होने वाला लाभ 2017-18 के ₹60.36 बिलियन से घटकर 2018-19 में ₹0.40 बिलियन हो गया जो 2018-19 में ₹0.60 बिलियन (अंकित मूल्य) की रुपया प्रतिभूतियों की कम बिक्री के कारण रहा, जबकि इसकी तुलना में 2017-18 में ₹900.00 बिलियन (अंकित मूल्य) की बिक्री हुई थी।

XII.17 *घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन से प्राप्त होने वाला प्रीमियम/डिस्काउंट:* बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/ डिस्काउंट को आय शीर्ष में जमा किया जाता है। घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट' से होने वाली निवल आय 2017-18 में ₹31.13 बिलियन थी जो 31.10 प्रतिशत घटकर 2018-19 में ₹21.45 बिलियन हो गई।

XII.18 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र और राज्य सरकार :*

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2018-19 के दौरान ₹5.86 बिलियन थी, जो 2018-19 में 119.28 प्रतिशत बढ़कर ₹12.85 बिलियन हो गई। केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2017-18 के दौरान ₹4.34 बिलियन थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹10.65 बिलियन हो गई और राज्यों से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर ब्याज से होने वाली आय 2017-18 के दौरान ₹1.52 बिलियन थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹2.20 बिलियन हो गई। यह बढ़ा हुआ अर्जन 2018-19 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डबल्यूएमए/ ओडी सुविधा का उच्चतर प्रयोग करने के कारण रहा।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं :*

बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2017-18 में ₹1.35 बिलियन था, जो 2018-19 में 8.89 प्रतिशत बढ़कर ₹1.47 बिलियन हो गया।

सी. *कर्मचारी :*

कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2017-18 में ₹0.58 बिलियन था, जो 2018-19 में 13.79 प्रतिशत बढ़कर ₹0.66 बिलियन हो गया।

XII.19 *कमीशन:* कमीशन आय 2017-18 में ₹20.35 बिलियन थी, जो 2018-19 में 11.65 प्रतिशत बढ़कर ₹22.72 बिलियन हो गई, जिसकी प्रमुख वजह बचत बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों और नकदी प्रबंधन बिलों सहित केंद्र और राज्य सरकार ऋणों की बकाया के लिए प्राप्त मैनेजमेट कमीशन में बढ़ोतरी रही।

XII.20 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय:* आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2017-18 में ₹3.73 बिलियन था, जो 2018-19 में बढ़कर ₹526.26 बिलियन हो गया, जो कि इन 'प्रावधानों की और जरूरत नहीं' को अग्रलिखित से होने वाले जोखिम प्रावधान के अतिरेक को प्रतिलेखन करने के कारण हुआ।

व्यय

XII.21 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे, एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खजाने के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। बैंक का कुल व्यय 2017-18 में

सारणी XII.10: व्यय

(₹ बिलियन में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	40.58	44.77	46.21	38.48	68.51
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	30.45	47.56	40.52	39.03	39.10
iv. नोटों का मुद्रण	37.62	34.21	79.65	49.12	48.11
v. प्रावधान	10.00	10.00	131.90	141.90	0.64
vi. अन्य	14.90	13.35	13.26	14.23	14.08
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**133.56**	**149.90**	**311.55**	**282.77**	**170.45**

₹282.77 बिलियन के मुक़ाबले 2018-19 में 39.72 प्रतिशत की गिरावट के कारण ₹170.45 बिलियन रहा (सारणी XII.10)।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.01 बिलियन डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत 2017-18 में ₹38.48 बिलियन थी, जो 2018-19 में 78.04 प्रतिशत बढ़कर ₹68.51 बिलियन हो गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए बैंक के व्यय में बढ़ोतरी के कारण रही जो 2017-18 के ₹6.48 बिलियन से बढकर 2018-19 में ₹36.10 बिलियन हो गया। अधिवार्षिता निधियों में योगदान इन निधियों के तहत देयताओं के बीमांकक मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे पिछली बार 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया था। सरकारी कारोबार के लिए इन बैंकों को अदा किया गया एजेंसी प्रभार 2017-18 में ₹37.60 बिलियन था, जो 2018-19 में 1.52 प्रतिशत बढ़कर ₹38.17 बिलियन हो गया। अंतर्निहित सरकारी लेनदेन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के कारण ₹0.57 बिलियन की यह मामूली बढ़ोतरी रही। लेकिन एजेंसी कमीशन में व्यय के एक भाग का समंजन करने से हुई यह बचत ई-कुबेर इंटीग्रेशन के माध्यम से लेनदेन प्रक्रिया के करा रही।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिज़र्व बैंक द्वारा 2018-19 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹0.74 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2016-17 में ₹1.13 बिलियन का भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जी-सेक उधार कार्यक्रम में वृद्धि होने के बावजूद मुद्रा में अस्थिरता, चलनिधि में कमी की घटनाएँ, कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें तथा एस.एल.आर. में कटौती, हामीदारी कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में कम था। इन कारकों द्वारा प्रतिफल पर संभवतः पड़ने वाले ऊर्ध्वगामी दबाव को स्थिर बाज़ार की केंद्र सरकार की अपेक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई निवल रिपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती, डॉलर स्वैप तथा ओएमओ के माध्यम से चलनिधि का अंतर्वेशन, बॉण्डों में वैश्विक उछाल, फेडरल रिज़र्व तथा ईसीबी दोनों से अपेक्षाकृत डोविष संकेत तथा समग्र रूप से नियंत्रित मुद्रास्फीति जैसे कारकों का प्रभाव पर्याप्त रूप से अधिक रहा। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान प्रतिफल की मात्रा में कमी आई (10

वर्षों के बेंचमार्क प्रतिफल में लगभग 102 आधार अंकों की कमी आई)। इसलिए, जैसे ही शुद्ध बाजार की स्थिति अनुकूल हुई और विचलन का जोखिम कम हुआ, वैसे-ही पीडी ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने हामीदारी कमीशन की मांग को घटाया क्योंकि उस वक्त सरकारी उधार में आशोधन, बाजार की चलनिधि में उतार-चढ़ाव और बैंकिंग क्षेत्र के विकास में बदलाव के कारण बाजार की स्थिति अस्थिर हो गई थी।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, 'टर्नओवर कमीशन राहत बांड/बचत बांड पर बैंकों को भुगतान और प्रतिभूति उधार और उधार प्रबंध (एसबीएलए) शामिल है। इस शीर्षक के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन 2017-18 के ₹0.08 बिलियन से घटकर 2018-19 में ₹0.02 बिलियन हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

2018-19 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क घटकर ₹0.17 बिलियन रह गया, जो 2017-18 में ₹0.22 बिलियन था।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2018-19 के दौरान नोटों कि आपूर्ति 29,191 मिलियन नग थी जो कि वर्ष 2017-18 (25,003 मिलियन नग) की तुलना में 16.75 प्रतिशत अधिक है। तथापि, 2017-18 में नोटों के मुद्रण पर ₹49.12 बिलियन खर्च हुआ, जो 2018-19 में 2.06 प्रतिशत घटकर ₹48.11 बिलियन रह गया। यह कमी मुख्य रूप से बीआरबीएनएमपीएल प्रेस द्वारा आपूर्त बैंक नोटों के मुद्रण में कमी किए जाने के कारण रही।

v) अन्य

अन्य खर्च 2017-18 के ₹14.23 बिलियन से 3.44 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹14.72 बिलियन हो गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं।

vi) प्रावधान

2018-19 में ₹0.64 बिलियन को आस्ति विकास निधि (एडीएफ़)में अंतरित करने का प्रावधान किया गया था।

आकस्मिक देयताएं

XII.22 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹9.94 बिलियन हो गईं, जिसका मुख्य घटक हैं रिज़र्व बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता 30 जून 2019 को ₹8.55 बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.23 पूर्व अवधि के लेनदेनों के प्रकटीकरण के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹(-)0.06 बिलियन एवं ₹0.01 बिलियन थे।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा-परीक्षक

XII.25 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2018-19 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मेसर्स छाजेड एंड दोशी, मुंबई एवं मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी,मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स कोठारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स बंसल एंड कंपनी, एलएलपी नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।